समाहरणालय, कटिहार

(जिला सामान्य प्रशाखा)

— :: आदेश :: —

सरकार के अवर सचिव, गृह विभाग (आरक्षी शाखा), बिहार, पटना के पत्र संख्या 12012/गृ०आ० पटना, दिनांक 31.12.2018 द्वारा चालू वित्तीय वर्ष 2018–19 में मॉग संख्या 22 तथा मुख्य शीर्ष 2055–पुलिस, उप मुख्य शीर्ष–00, लघु शीर्ष–110–ग्राम पुलिस, उपशीर्ष–0001–चौकीदार–दफादार स्थापना **विपत्र कोड 22-2055001100001** के अन्तर्गत विषयशीर्ष 0001.13.06–वर्दी/पोशाक मद में मो० 29,35,000.00 (उनतीस लाख पैतीस हजार) रूपये मात्र आवंटन प्राप्त हुआ है। आवंटित राशि में से मो० 24,90,000/– (चौबीस लाख नब्बे हजार) रूपये मात्र निम्नांकित अंचलों को उनके नाम के सम्मुख अंकित राशि निकासी एवं व्ययन हेतु उपावंटित की जाती है।

क्रमांक	अंचल का नाम	दफादार/चौकीदारों की संख्या एवं वर्दी/पोशाक भुगतान का दर	उपावंटित राशि
1	2	3	4
1	बलरामपुर	35X5000	1,75,000.00
2	मनसाही	6 X5000	30,000.00
3	कटिहार	13 X5000	65,000.00
4	बरारी	28 X5000	1,40,000.00
5	फलका	40 X5000	2,00,000.00
6	आजमनगर	79 X5000	3,95,000.00
7	बारसोई	69 X5000	3,45,000.00
8	अमदाबाद	27 X5000	1,35,000.00
9	कोढ़ा	38 X5000	1,90,000.00
10	मनिहारी	24 X5000	1,20,000.00
11	प्राणपुर	23 X5000	1,15,000.00
12	डंडखोरा	24 X5000	1,20,000.00
13	कुर्सेला	21 X5000	1,05,000.00
14	कदवा	71 X5000	3,55,000.00
	कुल	**498 X5000**	**24,90,000.00**
			मो० चौबीस लाख नब्बे हजार रूपये मात्र

2. सरकार के संयुक्त सचिव, गृह विभाग (आरक्षी शाखा) के संकल्प संख्या 7308/गृ०आ०, पटना दिनांक 20.08.2018 में निहित आदेश के आलोक में कार्यरत चौकीदारों/दफादारों को वर्दी भत्ते के रूप में मो० 5,000.00 (पाँच हजार) रूपये मात्र प्रति वर्ष की दर से नगद भुगतान किया जाना है।
3. उपावंटित राशि की निकासी वर्णित शीर्ष के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2018–19 में की जाएगी।
4. यह उपावंटन आदेश वित्त विभाग के परिपत्र संख्या 2561 दिनांक 17.04.1998 के आलोक में निर्गत किया जा रहा है। वित्तीय वर्ष 2018–19 में सभी व्यय के लिए वित्त विभागीय के पत्रांक 3244/वि०, दिनांक 04.05.2018 के द्वारा प्रावधानित चौमाही प्रतिशत बंधेज को शिथिल किया गया है। इसके फलस्वरूप आवंटित राशि का व्यय आवश्यकतानुसार की जा सकती है।

D:// Chokidar Related/Vardi/Poshak/M.Ajaz doc...05-Jan-2019

5. आवंटित राशि का भुगतान पूरी छानबीन एवं जाँच पड़ताल के बाद नियमित रुप से नियुक्त/प्रतिनियुक्त कर्मियों को ही किया जाय।
6. कोषागार में प्रस्तुत किये जाने वाली सभी विपत्रों पर मुख्य शीर्ष/लघु शिर्ष/उपशीर्ष/प्राथमिक इकाई आदि की स्पष्ट मुहर इकाईयों की कोड, विपत्र कोड एवं मांग संख्या अनिवार्य रुप से अंकित की जाय, ताकि महालेखाकार के कार्यालय में लेखा संधारण समूचित ढ़ंग से हो सके।
7. बिहार वित्तीय नियमावली, बजट मैनुअल तथा अन्य सुसंगत अभिलेखों में निहित प्रावधानों तथा समय-समय पर निर्गत सुसंगत आदेशों का दृढ़तापूर्वक पालन किया जाये ताकि व्यय पर वास्तविक रुप से नियंत्रण रखा जा सके।
8. किसी भी परिस्थिति में आवंटन दिये जाने का अर्थ व्यय की स्वीकृति नहीं समझा जाय तथा भुगतान के औचित्य से पूर्णतः संतुष्ट होने के उपरांत ही भुगतान की कार्रवाई की जाय। तदनुसार भुगतान सुनिश्चित करना सम्बंधित पदाधिकारी की व्यक्तिगत जिम्मेवारी होगी।
9. नियमानुसार स्रोत पर अनुमान्य कटौती करना तथा उसके लिए आवश्यक प्रमाण-पत्र निर्गत करना संबंधित निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी/भुगतान करने वाले पदाधिकारी की जिम्मेवारी होगी।
10. उपावंटित राशि की निकासी बिहार कोषागार संहिता 2011 के विहित विपत्र पर की जाय।
11. उपावंटित राशि की निकासी के लिए विपत्र के साथ आवश्यक कागजात संलग्न किये जाय।
12. निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी द्वारा विपत्र पर दिया जाने वाला प्रमाण-पत्र अवश्य अंकित किया जाय।
13. उपावंटित राशि के विरूद्ध व्यय की गई राशि का व्यय विवरणी प्रत्येक माह के 5 वीं तारीख तक कोषागार प्रमाणक संख्या एवं तिथि के साथ निश्चित रूप से जिला सामान्य प्रशाखा, कटिहार को उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया जाय।
14. उपावंटित राशि के विरूद्ध अवशेष राशि का प्रत्यापर्ण प्रतिवेदन दिनांक 25.03.2019 के पूर्व निश्चित रूप से जिला सामान्य प्रशाखा, कटिहार को उपलब्ध कराई जाय।

ह0/-
जिला पदाधिकारी,
कटिहार।

ज्ञापांक 89 /सा0, कटिहार, दिनांक :- 12.01.19

प्रतिलिपि :- सभी अनुमण्डल पदाधिकारी, कटिहार जिला को सूचनार्थ प्रेषित। निदेशित किया जाता है कि चौकीदार/दफादार को नियत समय पर वर्दी/पोशाक भत्ता भुगतान हो इसके लिए अनुश्रवण करेंगे।

प्रतिलिपि :- सभी अंचल पदाधिकारी, कटिहार जिला (समेली एवं हसनगंज को छोड़कर) सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि :- कोषागार पदाधिकारी, कटिहार/बारसोई को सूचनार्थ एंव आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि :- जिला आई०टी० प्रबंधक, कटिहार को बेवसाईट पर अपलोड एवं संबंधित पदाधिकारियों को तुरंत ई-मेल भेजने हेतु प्रेषित।

जिला पदाधिकारी,
कटिहार।

D:// Chokidar Related/Vardi/Poshak/M.Ajaz doc...05-Jan-2019